



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE

पंचदीप भवन, हाउसिंग बोर्ड फेस-1, साई रोड,

बददी, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205

PANCHDEEP BHAWAN, HOUSING BOARD PHASE I,

SAI ROAD, BADDI, SOLAN, HIMACHAL PRADESH-173205

Phone No.- 01795-245961, Email- [rd-hp@esic.gov.in](mailto:rd-hp@esic.gov.in)

Website:- [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) / [www.rohp.esic.gov.in](http://www.rohp.esic.gov.in)

**सं D-11011/47/2022-GENL**

**दिनांक:05-05-2026**

### शुद्धिपत्र (Corrigendum)

**विषय: हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र में अवकाश गृह सुविधा के बाबत।**

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र सं D-11011/47/2022-Gen, दिनांक 30.03.2026 के संबंध में मौजूद नियमों व विनियमों में सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. एक कमरे में 2 वयस्क व 2 बच्चे या 3 वयस्कों द्वारा ठहराव किया जा सकता है।
2. होटल में चेक इन का समय 12.00 pm व चेक आउट का समय 11.00 am रहेगा।
3. सभी विजिटर्स अपना व अपने साथ आए सभी लोगों का उचित पहचान पत्र चेक इन के समय होटल रीसेप्शन पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न करने पर होटल द्वारा कमरा आबंटित नहीं किया जाएगा।
4. जारी किए गए आरक्षण पत्र में दर्शाये गए लोगों को ही होटल के कमरे में प्रवेश दिया जाएगा।
5. उपरोक्त परिपत्र के अनुसार बुकिंग की तारीख से 30 दिन पहले प्राप्त बुकिंग अनुरोध पर विचार नहीं करने वाले क्लॉज को रद्द किया जाता है।
6. पेन्शनर हेतु आरक्षण मुख्यालय के परिपत्र सं D-13/147/TOR/Policy/2000-E-VI दिनांक 19.09.2017 अनुसार ही किया जाएगा।
7. अन्य सभी नियम व विनियम इस कार्यालय के परिपत्र सं D-11011/47/2022-Gen, दिनांक 30.03.2026 के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगे।

यह पत्र सक्षम अधिकारी महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

**SOCIAL SECURITY OFFICER**

**प्रति:**

1. महानिदेशक (सामान्य), क.रा.बी.निगम मुख्यालय, नई दिल्ली को सूचनाार्थ।
2. सभी क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, अस्पतालों को सूचनाार्थ।
3. आई टी शाखा क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी को वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध से।